

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या -464 / 2023

अनवान : -

1. पीरूराम पुत्र ताराराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजेराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. कृष्णलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. हंसराज पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. परमेश्वरी पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. मनीराम पुत्र कमा जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. कलावती पुत्री कमा जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. हंसराज पुत्र पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. ओमप्रकाश पुत्र पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. कविता पत्नी स्व0 अमीचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
11. मुकेश पुत्र अमीचन्द नाबालिग संरक्षिका माता कविता पत्नी स्व0 अमीचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
12. मनिषा पुत्री अमीचन्द नाबालिग संरक्षिका माता कविता पत्नी स्व0 अमीचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
13. अमित पुत्र अमीचन्द अमीचन्द नाबालिग संरक्षिका माता कविता पत्नी स्व0 अमीचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- असल प्रतिवादीगण

15. धापी पत्नी पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
16. गुडडी पुत्री पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
17. जैसा पुत्री पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
18. शिशपाल पुत्र पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 13/06/2023



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 375/371 की कुल 10.206 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं मृतक माना देवी प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 374/372 की कुल 20.2040 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि मृतक पतु उर्फ पतराम एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 तथा मृतक माना देवी प्रत्येक के 1/10 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 373/373 की कुल 17.9190 हैक्ट भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि वादी एवं 1/3 हिस्सा भूमि मृतक पतराम पुत्र तारा तथा प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 प्रत्येक के 1/15 हिस्सा एवं मृतक माना देवी का 1/15 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ताराराम के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान के नाम उपरोक्त भूमि दर्ज हुई। ताराराम पुत्र उदराम के तीन पुत्रगण हुए श्योकरण, पतराम एवं पिरूराम जिसमें से श्योकरण के वारिसान प्रतिवादीगण 8 व 9 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण स0 15 ता 18 है जिसमें एक पुत्र अमीचन्द फौत हो चुका है एवं अमीचन्द के वारिसान प्रतिवादीगण स0 10 ता 13 है एवं मृतक श्योकरण के वारिसान प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 है एवं मृतक बहिन कमा के वारिसान प्रतिवादीगण स0 6 व 7 है।

वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की कृषि भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 13, 15 ता 18, एक ही परिवार के सदस्य है वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण स0 6 ता 7 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा तरतीबी प्रतिवादीगण स0 15 ता 18 ने दिनांक 24.07.2007 को रजिस्टर्ड दस्तबरदारी जो कि सब रजिस्ट्रार नोहर से पंजीकृत है के जरिये अपना हक व हिस्सा प्रतिवादीगण स0 8 व 9 एवं प्रतिवादीगण स0 11 व 13 के पति व पिता के पक्ष में परित्याग कर दिया है, चूंकि इन्होंने अपने हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है इसलिए इन्हे तरतीबी प्रतिवादीगण बनाया गया है।

उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम थी तथा उन्होंने अपने पुत्रगणों के बीच वाद भूमि का बंटवारा कर दिया था मुताबिक बंटवारानामा वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे हैं जो कि निम्न प्रकार से है—

1. रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 374/372 के खसरा न0 360 की 18.830 हैक्ट भूमि में से 11.132 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 373/373 के ख0न0 363 की 7.1960 हैक्ट भूमि में से 1.881 हैक्ट भूमि वादी के पास रहेगी।

2. रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 374/372 के ख0न0 464 की 4.2120 हैक्ट भूमि में से 4.048 हैक्ट भूमि में से 3.5087 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे तथा 0.5393 हैक्ट भूमि की प्रतिवादीया स0 5 खातेदार काश्तकार रहेगी एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 375/371 के ख0न0 41

24

की 10.2060 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 373/373 के ख0न0 959 की 7.7630 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे।

3. रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 373/373 के ख0न0 363 की 7.1960 हैक्ट भूमि में से 5.315 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 374/372 के ख0न0 360 की 18.830 हैक्ट भूमि में से 7.698 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 464 की 0.164 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 465 की 1.1650 हैक्ट एवं खसरा न0 463 की 2.9600 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 8 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण स0 10 ता 13 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगे। मृतक पतु उर्फ पतराम एवं मृतक माना देवी का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है एवं वादी मुताबिक बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 13 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा जबरासर सम्वत 2075-78 खाता संख्या 374, 373 व 375 प्रदर्श-1 ता 3, मृत्यु प्रमाण पत्र अमीचन्द प्रदर्श-4, मृत्यु प्रमाण पत्र पतराम प्रदर्श-5, मृत्यु प्रमाण पत्र माना देवी प्रदर्श-6, दस्तबरदारी धापीदेवी, गुडडी, जैता, शिशपाल प्रदर्श-7, सरपंच ग्राम पंचायत जबरासर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श-8 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 13 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 375/371 की कुल 10.206 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं मृतक माना देवी प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा

जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 374/372 की कुल 20.2040 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा

भूमि मृतक पतु उर्फ पतराम एवं प्रतिवादी स० 1 ता 4 तथा मृतक माना देवी प्रत्येक के 1/10 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 373/373 की कुल 17.9190 हैक्ट भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि वादी एवं 1/3 हिस्सा भूमि मृतक पतराम पुत्र तारा तथा प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 प्रत्येक के 1/15 हिस्सा एवं मृतक माना देवी का 1/15 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स० 1 ता 13 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स० 1 ता 13 को कोई एतराज नहीं है। प्रदर्श-7 के अनुसार तरतीबी प्रतिवादीगण स० 15 ता 18 ने दिनांक 24.07.2007 को रजिस्टर्ड दस्तबरदारी जो कि सब रजिस्ट्रार नोहर से पंजीकृत है के जरिये अपना हक व हिस्सा प्रतिवादीगण स० 8 व 9 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 द्वारा इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई एतराज नहीं है। वादी के वाद को प्रतिवादी स० 1 ता 13 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 374/372 के खसरा न० 360 की 18.830 हैक्ट भूमि में से 11.132 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 373/373 के ख०न० 363 की 7.1960 हैक्ट भूमि में से 1.881 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 374/372 के ख०न० 464 की 4.2120 हैक्ट भूमि में से 4.048 हैक्ट भूमि में से 3.5087 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 बहिब को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा 0.5393 हैक्ट भूमि की प्रतिवादीया स० 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 375/371 के ख०न० 41 की 10.2060 हैक्ट भूमि एवं खाता स० 373/373 के ख०न० 959 की 7.7630 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 373/373 के ख०न० 363 की 7.1960 हैक्ट भूमि में से 5.315 हैक्ट भूमि एवं खाता स० 374/372 के ख०न० 360 की 18.830 हैक्ट भूमि में से 7.698 हैक्ट भूमि एवं ख०न० 464 की 0.164 हैक्ट भूमि एवं ख०न० 465 की 1.1650 हैक्ट एवं खसरा न० 463 की 2.9600 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स० 8 अकेले को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स० 9 अकेले को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण स० 10 ता 13 को बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक पतु

उर्फ पतराम एवं मृतक माना देवी का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट- लाखासर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023  
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या -464 / 2023

अनवान : -

1. पीरूराम पुत्र ताराराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजेराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. कृष्णलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. हंसराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. परमेश्वरी पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. मनीराम पुत्र कमा जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. कलावती पुत्री कमा जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. हंसराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. ओमप्रकाश पुत्र पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. कविता पत्नी स्व0 अमीचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
11. मुकेश पुत्र अमीचन्द नाबालिग संरक्षिका माता कविता पत्नी स्व0 अमीचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
12. मनिषा पुत्री अमीचन्द नाबालिग संरक्षिका माता कविता पत्नी स्व0 अमीचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
13. अमित पुत्र अमीचन्द अमीचन्द नाबालिग संरक्षिका माता कविता पत्नी स्व0 अमीचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- असल प्रतिवादीगण

15. धापी पत्नी पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
16. गुडडी पुत्री पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
17. जैसा पुत्री पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
18. शिशपाल पुत्र पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
राजस्व वाद संख्या 464 सन 2023 निर्णय दिनांक 13.06.2023


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर

के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 374/372 के खसरा न० 360 की 18.830 हैक्ट भूमि में से 11.132 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 373/373 के ख०न० 363 की 7.1960 हैक्ट भूमि में से 1.881 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 374/372 के ख०न० 464 की 4.2120 हैक्ट भूमि में से 4.048 हैक्ट भूमि में से 3.5087 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 बहिब को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा 0.5393 हैक्ट भूमि की प्रतिवादीया स० 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 375/371 के ख०न० 41 की 10.2060 हैक्ट भूमि एवं खाता स० 373/373 के ख०न० 959 की 7.7630 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 373/373 के ख०न० 363 की 7.1960 हैक्ट भूमि में से 5.315 हैक्ट भूमि एवं खाता स० 374/372 के ख०न० 360 की 18.830 हैक्ट भूमि में से 7.698 हैक्ट भूमि एवं ख०न० 464 की 0.164 हैक्ट भूमि एवं ख०न० 465 की 1.1650 हैक्ट एवं खसरा न० 463 की 2.9600 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स० 8 अकेले को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स० 9 अकेले को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण स० 10 ता 13 को बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक पतु उर्फ पतराम एवं मृतक माना देवी का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.16.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023  
कैम्प कोर्ट- लाखासर